पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)
कोनी –बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009
दूरभाष क्रमांक– (07752) 240715
www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

क्र.303A / शिक्षा. / 2021 बिलासपुर, दिनांक 30 / 11 / 2021

/ / सूचना / /

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्यापरिषद की 36 वीं बैठक दिनांक 12 / 11 / 2021 एवं कार्यपरिषद की 05 / नियमित / 2021 वीं बैठक दिनांक 15 / 11 / 2021 की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार Bachelor of Education (B.Ed.) के पाठ्यक्रम को पुनः संशोधित कर इस विश्वविद्यालय के लिए लागू किया जाता है।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

विभागाध्यक्ष
शिक्षा विभाग

क्र.303 B / शिक्षा. / 2021 बिलासपुर,दिनांक 30 / 11 / 2021
प्रतिलिपि:

1. कुलपति जी के निज सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
4. वित्ताधिकरी को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

विभागाध्यक्ष
शिक्षा विभाग

अध्ययन मंडल की बैठक दि 05/10/21

आज दिनांक 05/10/2021 को शिक्षा विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक आयोजित की गई, बैठक online/offline mode में आयोजित की गई, बैठक में प्रदत्त कार्यवृत्त एवं अन्य विषयों पर चर्चा एवं निर्णय करने हेतु निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे-

1. डॉ. वीना सिंह
   अध्यक्ष — B. 5-10-21

2 प्रो. राजश्री वैष्णव
   ITM university
   Nagpur — वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थित

3 डॉ. सी. एस. वझलवार
   GGU, Bilaspur — Vajalwar

4 डॉ अनिता सिंह
   PSSOU — 05/10/21

5 डॉ प्रकृति जेम्स
   PSSOU — Samuel 05/10/21

बैठक का एजेंडा एवं निर्णय निम्नानुसार है-

प्रस्ताव क्र (01) - बी. एड प्रथम वर्ष के चार प्रश्न-पत्रों का अनुमोदन।

निर्णय → बी. एड प्रथम वर्ष के चार प्रश्न-पत्रों के SLM का अवलोकन किया गया। SLM के विवरण पर चर्चा हुई तत्पश्चात चारों SLM का अनुमोदन किया गया जिनके नाम निम्नानुसार हैं-

① प्रश्न पत्र - तृतीय
(समकालीन भारतीय शिक्षा एवं समाज

(2) प्रश्न पत्र - पंचम
हिन्दी शिक्षण
(3) प्रश्न पत्र - षष्ठम
सामाजिक विज्ञान शिक्षण
(4) प्रश्न पत्र - सप्तम
प्रदर्शनकारी कला एवं शिक्षण -

प्रस्ताव क्र. (02) - बी.एड. प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का अनुमोदन।

निर्णय → बी.एड. प्रथम वर्ष के अंतर्गत समस्त प्रश्न-पत्र एवं marking scheme का अवलोकन व चर्चा उपरांत अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. (03) एम.ए. शिक्षा के द्वितीय वर्ष में पांचवे वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में लघु शोध प्रबंध / महिला शिक्षा को शामिल करने संबंधी।

निर्णय → समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एम.ए. शिक्षा के अंतिम वर्ष में चार अनिवार्य विषय रखकर पांचवा प्रश्न पत्र वैकल्पिक रखा जाये जिसमें महिला शिक्षा तथा लघु शोध प्रबंध में से छात्र कोई एक विषय का चुनाव करें।
साथ ही लघु शोध प्रबंध का चयन करने वाले छात्रों के लिये मौखिकी परीक्षा (viva-voice) का आयोजन किया जाये। जो कि शोध प्रबंध के जांच जाने के बाद, ही। एम.ए. के अध्ययन केन्द्र वहीं रखे जाये जहां M.ed. पाठ्यक्रम संचालित हैं।

P.T.O.

प्रस्ताव क्र. (04) डी.ई.एल.टी. डिप्लोमा (D.E.L.T.) के पाठ्यक्रम संशोधन पर चर्चा।

→ D.E.L.T. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतर्गत समस्त प्रश्न-पत्रों एवं Marking scheme पर चर्चा की गई तदुपरांत पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. (05) डी.ई.एल.टी. ऑन-लाइन सर्टिफिकेट कार्यक्रम के पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने पर चर्चा।

निर्णय → Online Certificate course के पाठ्यक्रम तथा उसके संचालन पर चर्चा की गई। Certificate course का नाम 'Certificate Course in Elementary Language & Literacy' किया गया जो कि short में C.E.L.L. होगा। इसे पूर्णतः Online Mode में चलाने की अनुशंसा की गई। इस हेतु पाठ्यक्रम विवरण तथा Marking scheme का अवलोकन पश्चात् अनुमोदन किया गया।

उपरोक्त समस्त निर्णय सर्व-सम्मति से लिये गये।

Nagelwar

Samuel
05/10/21

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 341 /अका./वि.प./बैठक/2021, बिलासपुर, दिनांक 12/11/2021

//अधिसूचना//

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 36 वीं नियमित बैठक माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में दिनांक 12/11/2021, दिन शुक्रवार अपरान्ह 03:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।
बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :–

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर
2. **प्रो. एल.पी. पटैरिया,** (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
   माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
   (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट)
3. **प्रो. आर.पी. दास** (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
   सम कुलपति
   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
   (कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित)
4. **डॉ. राजलक्ष्मी सेलट**(विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
   आयुक्त के नामिनी
   उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.)
5. **प्रो. मनीष श्रीवास्तव,** – सदस्य
   गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर
   (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
6. **प्रो. मीता झा,** (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
   पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
   (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
7. **डॉ. अनिता सिंह,** – सदस्य
   अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शिक्षा विभाग
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर
8. **श्री संजीव कुमार लवानिया** – सदस्य
   अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशास्त्र
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर

9. **डॉ. एस. रूपेन्द्र राव** – सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर

10. **श्री रेशमलाल प्रधान** – सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर

11. **प्रो. शोभित वाजपेयी** – सचिव
प्रभारी कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –

1. **संचालक** – सदस्य
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया –

प्रस्ताव क्र. 01–विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 35 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदनएवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02– PBAS (Performance Based Appraisal System) प्रारूप के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – **IGNOU एवं अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों के प्रोफार्मा का अवलोकन करने के पश्चात आगामी बैठक में रखा जाय।**

प्रस्ताव क्र. 03– विश्वविद्यालय विषयों के अध्ययन मण्डलों की कार्यवाही–विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – **अनुमोदन किया गया।**

प्रस्ताव क्र.04– विश्वविद्यालय के विभिन्न Policy Document के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – Mission and Vision, Strategic plan Methodology & Machanism, E-Governance Policy , ERP (Enterprise Resource Planing Integration) , Fund & Resource Mobilization policy का अनुमोदन किया गया।

–पूरक प्रस्ताव–

प्रस्ताव क्र.05– परीक्षा परिणाम समिति Result Committee गठन का प्रस्ताव।

निर्णय – C-1(9)(A) के कंडिका 2 के भाग दो में One Chairman Board of Studies के स्थान पर One Chairman Board of Studies to be nominated by the Kulpati किया जाय।

प्रस्ताव क्र.06– पी–एच.डी. 2021 हेतु निर्मित प्रवेश एवं सूचना विवरणिका के प्रारूप के अनुमोदन एवं अधिसूचना जारी करने पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

–अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय–

प्रस्ताव क्रमांक 01 – शैक्षणिक पदों पर नियमितं नियुक्ति हेतु प्रस्तावित चयन समिति में माननीय कुलाधिपति के द्वारा मनोनयन हेतु पदवार/विषयवार तीन–तीन विषय–विशेषज्ञों के नाम प्रेषित किये जाने पर विचार।

निर्णय – शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्रस्तावित चयन समिति में माननीय कुलाधिपति के द्वारा मनोनयन हेतु पदवार/विषयवार तीन–तीन विषय–विशेषज्ञों के नाम प्रेषित किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव क्र.02– विश्वविद्यालय हेतु तैयार विभिन्न Policy Document एवं Code of Conduct के अनुमोदन पर विचार ।

निर्णय – Policy Document of Green Campus Initiative for the University , Day Care Center for Academic and Non-Academic Staffs Including Research Scholar/Staffs and Learners , Common Room for Female Staff and Learners , Friendly and Barrier Free Environment for the Learners including Differently – Abled Persons, Learners Code of Ethics and conduct , Code of Professional Ethics (as Per UGC Regulations, July-2018) का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

(हस्ताक्षर) 12.11.21 | (हस्ताक्षर) 12/11/21
(बंश गोपाल सिंह) | (प्रो. शोभित वाजपेयी)
कुलपति/अध्यक्ष | कुलसचिव/सचिव(प्रभारी)

पृ. क्रं. 342/अका./वि.प./बैठक/2021, बिलासपुर, दिनांक 12/11/2021

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्माननीय सदस्यगण –

2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी–3, नया रायपुर (छ.ग.)

2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)

2.3 प्रो आर.पी. दास, सम कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।

2.4 प्रो. एल.पी.पटेरिया, माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़

2.5 प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

2.6 प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

2.7 क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU

2.8 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU

2.8 श्री संजीव लावनिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU

2.9 डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU

2.10 श्री रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस, PSSOU
की ओर सूचनार्थ।

3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।

4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही–विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन–प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।

5. नस्ती हेतु।

कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 119 / का.प. / बैठक / 2021 — बिलासपुर, दिनांक 16 / 11 / 2021

/ / अधिसूचना / /

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की बैठक संख्या **05 / नियमित / 2021, दिनांक 15 / 11 / 2021, दिन सोमवार** को अपरान्ह 12:00 बजे क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में प्रत्यक्ष उपस्थिति / विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक 2, 3 एवं 5 के सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :–

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

2. **प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव** (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
   आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग
   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
   (कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)

3. **श्री एम. डी. दीवान** (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
   संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
   अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

4. **श्री एस.एल.नायक** – सदस्य
   संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन,
   पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.)

5. **पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु** – सदस्य
   (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
   बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

6. **श्री प्रफुल्ल शर्मा** – सदस्य
   चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)

7. **श्री उचित सूद** – सदस्य
   होटल सेन्ट्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)

8. **श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट** – सदस्य
   विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
   छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)

9. **श्री आर.के. पटेल** – सदस्य
संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर
(सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

10. **डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति** – सदस्य
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)

डॉ. इंदु अनंत – सचिव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष या विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके –

1. **श्री गुलाब कमरो** – सदस्य
उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर

2. **श्री संतराम नेताम** – सदस्य
उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर

अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्र. 01 – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 04/नियमित/2021 की कार्यवाही–विवरण की सम्पुष्टि प्रदान करना एवं पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय – प्रस्ताव क्रमांक 05 में 'अनुमोदन' के स्थान पर 'सूचनार्थ' किया जाय के संशोधन के साथ सम्पुष्टि प्रदान की गई।

प्रस्ताव क्र. 02 – कोरोना से संक्रमित शासकीय कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत किये जाने संबंधी।

निर्णय – प्रस्तावित अवकाश अवधि का Medical Leave (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) जमा करना निर्देशित करे। तथा विशेष आकस्मिक अवकाश एवं ग्रीष्मावकाश मान्य किया गया। संबंधित के खाते में अवकाश न होने की स्थिति में Extra Ordinary Leave स्वीकृत किया जाता है।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 03 – विश्वविद्यालय परिनियम 13.8 में संशोधन संबंधी।

निर्णय – संशोधन मान्य किया गया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 04 – डॉ. रूचि त्रिपाठी द्वारा प्राप्त धारणाधिकार अवधि बढ़ाये जाने हेतु आवेदन पर विचार।

निर्णय – डॉ. रूचि त्रिपाठी द्वारा प्राप्त धारणाधिकार बढ़ाए जाने संबंधी आवेदन पर विचार किया गया। कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से धारणाधिकार समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 05 – विश्वविद्यालय में महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दर लागू करने की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 06 – विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 27/08/2021 के निर्णय पर की गई कार्यवाही के प्रकाश में स्टूडियो निर्माण पर विचार करना।

निर्णय – विश्वविद्यालय भवन निर्माण संबंधी क्रय समिति की बैठक दिनांक 27/08/2021 पर की गई अनुसंशा निम्न शर्तो/सुझाव सहित मान्य किया गया।

1. L1 फर्म (मेसर्स गगन होम साल्युशन बिलासपुर) को पत्र दिया जाय की फर्म अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में 25/11/2021 तक सप्रमाण अपना पक्ष प्रस्तुत करें। संतोषजनक प्रस्तुत न करने की स्थिति में L2 फर्म (भट्ट इन्टरप्राईजेस बिलासपुर) से Negotiate कर L2 फर्म को कार्यादेश दिया जाय।
2. इसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा सड़क निर्माण कार्य के लिए जमा की गई (पी.डब्लू.डी. के पक्ष में) बचत राशि से सिहावा अकादमिक भवन में लिफ्ट लगाने का कार्य करा लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – यांत्रिकी विभाग

प्रस्ताव क्र. 07 – विश्वविद्यालय ग्रंथालय हेतु पुस्तक क्रय संबंधी।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – ग्रंथालय विभाग

प्रस्ताव क्र. 08 – विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले अधिवक्ता शुल्क पर विचार करने संबंधी।

निर्णय – विभिन्न विश्वविद्यालयों से अधिवक्ता शुल्क की जानकारी प्राप्त की गई थी। कार्यपरिषद् द्वारा विचार कर रूपये 15,000/– (पंद्रह हजार रूपये मात्र) मान्य किया गया।

कार्यवाही – विधि प्रकोष्ठ

प्रस्ताव क्र. 09 – विश्वविद्यालय वेबसाईट में विश्वविद्यालय मोनो का दुरूपयोग रोकने हेतु अधिसूचना के प्रसारण संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय वेबसाईट में विश्वविद्यालय मोनो का दुरूपयोग रोकने हेतु अधिसूचना के प्रसारण संबंधी प्रस्ताव को मान्य किया गया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 10 – कम्युनिटी रेडियो की सेवाए लेने संबंधी।

निर्णय – रूपये एक लाख तक के कार्य हेतु कोटेशन मंगा कर कार्य कराया जाय।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 11 – डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति से प्राप्त स्पष्टीकरण संबंधी।

निर्णय – डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति से प्राप्त स्पष्टीकरण पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार किया गया। डॉ. प्रजापति द्वारा नैक संबंधी कार्यो से मुक्त किये जाने के लिए लिखे गये पत्र अप्रसन्नता जाहिर की है। विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम के अंतर्गत निर्देशित कार्यो का निर्वहन विश्वविद्यालय कर्मचारी (शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी) का कार्यालयीन दायित्व है, सौपे गये दायित्वों से मना करना नीतिगत नहीं है अतः भविष्य में इस तरह की स्थिति की पुनरावृत्ति न हो इसकी समझाइस दी गई। कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह के अनुशासनहीनता पर परिनियम प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। समिति द्वारा पूरक स्पष्टीकरण लिए जाने का सुझाव दिया गया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 12 – उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त पत्र पर विचार संबंधी।

निर्णय – उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त पत्र पर विचार किया गया तथा MoU के लिए मान्य किया गया।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 13 – ST/SC/OBC Cell की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन संबंधी।

निर्णय – ST/SC/OBC Cell की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 14 – विश्वविद्यालय में परामर्शदाता (काउन्सलर) के नाम का अनुमोदन संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय में परामर्शदाता (काउन्सलर) के नाम का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 15 – विश्वविद्यालय में परीक्षा समन्वयक के मानदेय की कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – पूर्व की भांति रूपये 46,500/– (छियालीस हजार पॉच सौ रूपये) मान्य किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 16 – अतिथि शिक्षकों को आवासीय सुविधा प्रदान किये जाने विषयक।

निर्णय – वर्ग–2 हेतु निर्मित आवास में रिक्त रहने पर निर्धारित किराया, बिजली एवं जल व्यय राशि लेते हुए सशर्त दिया जाय।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 17 – विद्यापरिषद् की 36 वीं बैठक के कार्यवाही–विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विद्यापरिषद् की 36 वीं बैठक के कार्यवाही–विवरण का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 18 – विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी हेतु निर्मित आवास आबंटन किये जाने विषयक।

निर्णय – आवश्यक सेवा में लगे मानसेवी कर्मचारियों को निर्धारित किराया, बिजली एवं जल प्रदाय हेतु शुल्क लेकर सशर्त निम्नानुसार आबंटित किया जाय –

1. समन्वयक – वर्ग–2
2. कार्यक्रम समन्वयक, सहा. कार्यक्रम समन्वयक एवं समन्वय सहायक (तकनीकी कार्य) – वर्ग–3
3. समन्वय सहायक एवं सहायक – वर्ग–4

तकनीकी कार्य में संलग्न समन्वय सहायक को वर्ग–3 में आवास रिक्त रहने पर दिया जाय।

आबंटन सशर्त हो कि आवश्यक होने पर मानसेवी आवास रिक्त कर देंगे।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 19 – विश्वविद्यालय में सर्वर क्रय हेतु क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – L1 फर्म (Disha Hardware Services, Bilaspur) को मान्य किया गया।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 20 – विश्वविद्यालय के बी.बी.पी.एल./बी.पी.एल विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति नियम संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय के बी.बी.पी.एल./बी.पी.एल विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति नियम का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 21 – विश्वविद्यालय लैब सामग्री हेतु रू 24,75,745/– के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – क्रय समिति की अनुशंसा मान्य किया गया। विश्वविद्यालय लैब सामग्री हेतु रू 24,75,745/– (चौबीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ पैंतालीस रूपये) के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 22 – विश्वविद्यालय स्टील चेयर क्रय के राशि रू 12,82,047/– भुगतान की स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – कार्य पूर्ण होने पर वित्त शाखा से परीक्षण उपरान्त भुगतान की राशि रू 12,82,047/– (बारह लाख बयासी हजार सैंतालीस रूपये) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 23 – विश्वविद्यालय SLM पाठ्य सामग्री क्रय के देयक राशि रू. 51,60,623/– संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय को प्राप्त देयक में टंकित त्रुटि सुधार कर लिया जाय। प्राप्त SLM पाठ्य सामग्री के गुणवत्ता का विधिवत परीक्षण करा लिया जाय। SLM के लिए प्राप्त देयकों का कुल रू. 1,22,42,655/– (एक करोड़ बाईस लाख बयालीस हजार छः सौ पचपन रूपये) का वित्तीय परीक्षण करा भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि SLM पाठ्य सामग्री के लिए प्रस्तावित तीन वर्षो के मुद्रण हेतु अनुबंध किया जाय। इस पर वित्त नियमों के अंतर्गत परीक्षण करा कार्यपरिषद् के आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

पूरक प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 24 – विश्वविद्यालय के नौ पी–एच.डी शोधार्थियों को जारी अधिसूचना की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय – सूचना ग्रहण किया गया।

कार्यवाही – परीक्षा विभाग

प्रस्ताव क्र. 25 – विश्वविद्यालय वित्त समिति की 31 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 01– सूचना एवं प्रवेश विवरणिका के देयक 13,34,344/– (तेरह लाख चौतीस हजार तीन सौ चवालिस रूपये) भुगतान संबंधी।

निर्णय – सूचना एवं प्रवेश विवरणिका के देयक रू. 13,34,344/– (तेरह लाख चौतीस हजार तीन सौ चवालिस रूपये) के वित्तीय परीक्षण करा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 02– **विश्वविद्यालय में जनसंपर्क अधिकारी की व्यवस्था संबंधी।**

निर्णय – विश्वविद्यालय के जनसंपर्क कार्य हेतु तत्काल व्यवस्था की जाय। जनसंपर्क अधिकारी के कार्य को योग्य मानसेवी कर्मचारी को दिये जाने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही – स्थापना / प्रशासन विभाग

कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में B.Ed. भवन निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए राज्य शासन को स्मरण पत्र लिखा जाय।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

16.11.2021

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष

(इंदु अनंत)
कुलसचिव / सचिव

पृ. क्रं. 120 /का.प./बैठक/2021, बिलासपुर, दिनांक 16/11/2021

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्माननीय सदस्यगण –

3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।

3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्रा पड़ाव नगर, पंचायत केषकाल, जिला कोण्डागांव।

3.3 श्री गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।

3.4 श्री आर.के. पटेल, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।

3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।

3.6 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।

3.7 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।

3.8 पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।

3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)।

3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)।

3.11 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।

की ओर कार्यवाही–विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।

4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित विभाग प्रमुखों .... को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यपरिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन–प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
7. नस्ती हेतु।

कुलसचिव

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)
कोनी –बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009
दूरभाष क्रमांक– (07752) 240715
www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

क्र. 2115/हिन्दी/2022 बिलासपुर, दिनांक 30/06/2022

//सूचना//

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्यापरिषद की 38 वीं बैठक दिनांक 10/06/2022 एवं कार्यपरिषद की 08/नियमित/2022 वीं बैठक दिनांक 15/06/2022 की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार **स्नातक तृतीय वर्ष के आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा** के पाठ्यक्रम को पुनः संशोधित कर इस विश्वविद्यालय के लिए लागू किया जाता है।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

विभागाध्यक्ष
हिन्दी विभाग

क्र. 2116/हिन्दी/2022 बिलासपुर,दिनांक 30/06/2022
प्रतिलिपिः

1. कुलपति जी के निज सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
4. वित्ताधिकरी को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

विभागाध्यक्ष
हिन्दी विभाग

:- अध्ययन मंडल की बैठक !-

हिंदी विषय के अध्ययन मंडल की बैठक आज दिनांक 06/12/2021 पूर्वाह्न 11:30 बजे निदेशक, NAAC के कक्ष, अकादमिक सिहावा भवन में आहूत की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे!-

1. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
अध्यक्ष
सहायक प्राध्यापक -हिंदी
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. छत्तीसगढ़, बिलासपुर
[signature] 06/12/2021

2. डॉ. राजेश कुमार दुबे.
सदस्य
प्राध्यापक, हिंदी
शासकीय नवीन महाविद्यालय खरोरा,
जिला - रायपुर (छ.ग.)
[signature] 06/12/2021

3. डॉ. राजकुमार सचदेव
प्राध्यापक हिंदी
श्री राम कृपा भवन, मधुबन रोड़ गुरुकुल स्कूल के सामने
दयालबंद, बिलासपुर (छ.ग.)
[signature] 06.12.2021

4. डॉ. एस. रूपेन्द्र राव
सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. छत्तीसगढ़, बिलासपुर
[signature] 6/12/2021

5. डॉ. बीना सिंह
सदस्य, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर.
[signature] 6.12.21

कार्य सूची

1. स्नातक तृतीय वर्ष के आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम पर विचार।
2. स्नातक तृतीय वर्ष के आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के SLM पर विचार।
3. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

— कार्यवृत्त —

अध्यक्ष द्वारा सम्माननीय सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक आरंभ हुई।

1. प्रस्तावित बिन्दु एक पर चर्चा हुई। स्नातक तृतीय वर्ष के आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के संशोधित पाठ्यक्रम की सर्वसम्मति से अनुशंसा की गई।

2. माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्नातक तृतीय वर्ष के आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा-3 के लिए निर्मित की गई SLM को अवलोकन किया गया तथा अवलोकनोपरांत टंकण संबंधी त्रुटियों का सुधार करने के पश्चात SLM को स्वीकृति प्रदान किया गया।

डॉ. राजकुमार सत्यदेव

06.12.2021

06/12/2021

(राजेश कुमार दुबे)

डॉ. एस. उपेन्द्र राव

6/12/21

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 414 /अका./वि.प./बैठक/2022, बिलासपुर, दिनांक 10 /06/2022

//अधिसूचना//

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 38 वीं नियमित बैठक दिनांक 10/06/2022, दिन शुक्रवार अपरान्ह 03:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय 'सिरपुर प्रशासनिक भवन में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :–

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर
2. **प्रो. एल.पी. पटैरिया,** (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
   माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
   (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट)
3. **प्रो. आर.पी. दास** – सदस्य
   सम कुलपति
   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
   (कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित)
4. **संचालक** (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
   छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
   रायपुर (छ.ग.)
5. **डॉ. राजलक्ष्मी सेलट,** (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
   आयुक्त के नामिनी
   उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.)
6. **प्रो. मीता झा,** (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
   पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
   (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
7. **प्रो. शोभित कुमार बाजपेयी** – सदस्य
   क्षेत्रीय निदेशक
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर
8. **डॉ. बीना सिंह,** – सदस्य
   अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा विभाग,
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर
9. **डॉ. अनिता सिंह,** – सदस्य
   सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग,
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर

10. **डॉ. प्रीती रानी मिश्रा,** – सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, ग्रंथालय एवं सूचना विभाग,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर

11. **डॉ. पुष्कर दुबे,** – सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंधन,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर

12. **डॉ. इंदु अनंत,** – सचिव
कुलसचिव,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया –

प्रस्ताव क्र. 01 – विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 36 वीं (नियमित) एवं 37 वीं (एजेण्डा बाय सर्कुलेशन) बैठक के कार्यवाही विवरण एवम् पालन प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02 – एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को किये जाने हेतु यू.जी.सी. द्वारा जारी दिशा निर्देशों को विश्वविद्यालय में अंगीकृत कर विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 01 के Part-A-1(h) सम्मिलित में किये जाने पर विचार।

निर्णय – "Part-A 1 (h): Pursuing Two Programmes At A Time:
Guidelines for Pursuing two academic programmes simultaneously notified by the UGC from time to time will be applicable." को अंगीकृत किया गया।

प्रस्ताव क्र. 03 – यू.जी.सी. द्वारा जारी एम.फिल./पी.–एच. डी. डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया द्वितीय संशोधन विनियम 2018 को विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 01 Part B में सम्मिलित करने पर विचार।

निर्णय –
1. अध्यादेश में M.Phil को विलोपित किया जाए।
2. Part B की कंडिका 4 के क्रमांक III एवं IV पर यथाप्रस्तावित सम्मिलित किया जाए।
3. 4.B (iv) Ratio of Entrance Qualified and exempted category will be 40%:60% subject to guideline issued by UGC in this regard from time to time. पर सम्मिलित किया जाय।

प्रस्ताव क्र. 04 – विश्वविधालय मे स्नातक स्तर पर Multiple Exit एवं Multiple Entry नियमों को अंगीकृत कर विश्वविधालय में अध्यादेश में सम्मिलित करने पर विचार।

निर्णय – अनुमोदित किया गया तथा यह भी जोड़ा जाय की
"Provisions will be applicable subject to guidelines and policies of the state government to be framed from time to time."

प्रस्ताव क्र. 05 – विश्वविद्यालय के विभिन्न Policy Document के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – Strategic Plan, Methodology & Mechanism के Core Values of the University में आंशिक संशोधन करते हुए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 06 – विश्वविद्यालय विषयों के अध्ययन मण्डलों की कार्यवाही–विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

–पूरक प्रस्ताव–

प्रस्ताव क्र. 07 – बी.एस.सी. (गणित) पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर विज्ञान को शामिल करते हुए PPR के संशोधन पर विचार।

निर्णय – मान्य किया गया।

प्रस्ताव क्र. 08 – भौतिक शास्त्र विषय के अध्ययन मण्डल की बैठक के लिए गए निर्णय पर विचार।

निर्णय – मान्य किया गया।

प्रस्ताव क्र. 09 – विश्वविद्यालय के विभिन्न Policy Document के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 10 – आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति संबंधी : अध्यादेश क्र. 1 भाग C के बिन्दु 7 : Conduct के क्रमांक 2 आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं की व्यवस्था को जोड़े जाने पर विचार।

निर्णय – "1. विश्वविद्यालय के आंतरिक परीक्षक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक हो सकते है।

2. शासकीय महाविद्यालयों के नियमित शिक्षक।

3. अशासकीय महाविद्यालयों के परिनियम 28 में नियुक्त शिक्षक।

4. विश्वविद्यालय के समन्वयक/कार्यक्रम समन्वयक होने पर विशेष परिस्थिति में आंतरिक परीक्षक हो सकते है जो UGC के नियम के अनुसार शिक्षक होने की योग्यता पूर्ण करते हो ऐसी स्थिति में ये आंतरिक परीक्षक के रूप में विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे। जो विद्यार्थियों से सीधे संबंधित नहीं रहा हो ऐसे योग्य परीक्षकों को बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा भले ही वह एक ही संस्था/महाविद्यालय में कार्यरत हों।"

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

(बंश गोपाल सिंह)	**(डॉ. इंदु अनंत)**
कुलपति/अध्यक्ष	**कुलसचिव/सचिव**

पृ. क्रं. 415 /अका./वि.प./बैठक/2022, बिलासपुर, दिनांक 10/06/2022

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण –
2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी–3, नया रायपुर (छ.ग.)
2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
2.3 प्रो आर.पी. दास, सम कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
2.4 प्रो. एल.पी.पटेरिया, माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
2.5 प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
2.6 प्रो. शोभीत कुमार बाजपेयी, क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
2.7 डॉ. बीना सिंह, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा विभाग, PSSOU
2.8 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
2.9 डॉ. प्रीती रानी मिश्रा, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, ग्रंथालय एवं सूचना विभाग, PSSOU
2.10 डॉ. पुष्कर दुबे, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंधन, PSSOU
की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही–विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्यापरिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन–प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।

कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 35/का.प./बैठक/2022 बिलासपुर, दिनांक 15/06/2022

//अधिसूचना//

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की बैठक संख्या **08/नियमित/2022, दिनांक 15/06/2022, दिन बुधवार** को अपरान्ह 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर के सिरपुर प्रशासनिक भवन में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक 2, 3, 4, 5, 7 एवं 9 के सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :–

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

2. **प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव** (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
   आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग
   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
   (कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)

3. **श्री एस.एल.नायक** (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
   संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन,
   पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.)

4. **श्री एम. डी. दीवान** (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
   संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
   अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

5. **श्री प्रफुल्ल शर्मा** (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
   चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)

6. **श्री उचित सूद** – सदस्य
   होटल सेन्ट्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)

7. **श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट** (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
   विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
   छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)

8. **डॉ. प्रकृति जेम्स** — सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)

9. **पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु** — सदस्य
(विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

डॉ. इंदु अनंत — सचिव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष या विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके –

1. **श्री गुलाब कमरो** — सदस्य
उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर

2. **श्री संतराम नेताम** — सदस्य
उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर

3. **श्री आर.के. पटेल** — सदस्य
संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर
(सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्र. 01 – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 07/नियमित/2022 की कार्यवाही–विवरण की सम्पुष्टि प्रदान करना एवं पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय – कार्यवृत्त को सम्पुष्टि दी गई तथा पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया। पालन प्रातिवेदन के प्रस्ताव क्रमांक 5 (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) में 'प्रदेश के सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी लागू होगा' इसे जोड़ा जाए के साथ–साथ अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02 – श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, अतिरिक्त अधिवक्ता के देयक 25,000/– रू. भुगतान संबंधी।

निर्णय – विशेष प्रकरण के रूप में स्वीकृत करनें के पूर्व राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शुल्क के अनुसार भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी विधिक शुल्कों की सूची में महाधिवक्ता

अथवा अतिरिक्त महाधिवक्ता शुल्क न होने की स्थिति में विशेष प्रकरण के रूप में रूपये 25,000/– भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 03 – विश्वविद्यालय अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2022–23 के अनुमोदन संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2022–23 का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 04 – प्रो. मनीष श्रीवास्तव, सदस्य विद्यापरिषद् के द्वारा प्राप्त त्याग पत्र संबंधी।

निर्णय – प्रो. मनीष श्रीवास्तव, सदस्य विद्यापरिषद् के द्वारा प्राप्त त्याग पत्र स्वीकार किया गया। प्रो. एच.एस. होता, प्राध्यापक, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का मनोनयन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 05 – छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 265/एफ 2013–04–00416/ वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/05/2022 की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 06 – विश्वविद्यालय के शिक्षको का CAS (Career Advancement Scheme) के अंतर्गत क्रमोन्नत प्रकरणों पर विचार संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों का CAS (Career Advancement Scheme) संबंधी नियमों तथा नये प्रारूप (PBAS) के आधार पर यथाशिघ्र प्रक्रिया कर कार्यवाही की जाए।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 07 – विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अध्ययन केन्द्रों में से विशिष्ट अध्ययन केन्द्र के रूप में चिन्हित/अंकित किये गये केन्द्रों की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 08 – विश्वविद्यालय परिसर में वाहनों हेतु पार्किंग शेड बनाने विषयक।

निर्णय – विश्वविद्यालय परिसर में वाहनों हेतु पार्किंग शेड बनाने की अनुमति प्रदान की गई। रूपये 10,50,000/– (दस लाख पचास हजार रूपये) राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। वाहनों को शेड तक पहुँचाने के पहुँच मार्ग (Aproach Road) बनाया जाए। पेवर सहित कार्य कराया जाए। पहुँच मार्ग (Aproach Road) एवं पेवर सहित कार्य के लिए बढ़े हुए लागत की स्वीकृति के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही – यांत्रिकि विभाग

प्रस्ताव क्र. 09 – विश्वविद्यालय सी.ए. पैनल की सूची के अनुमोदन पर विचार संबंधी।

निर्णय – श्री संजय मिश्रा को पुनः एक वर्ष के लिए सी.ए. का कार्य दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 10 – विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं/वरिष्ठ अधिवक्ताओं/एडव्होकेट ऑन रिकार्ड के शुल्क एवं सत्र/सिविल न्यायालयों के प्रति (पैरवी) यात्रा व्यय पुनः निर्धारण संबंधी।

निर्णय – सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए प्रस्तावित शुल्क की सूची के क्रमांक 05 (वरिष्ठ अधिवक्ता प्रति हियरिंग/प्रति प्रकरण शुल्क रू. 50,000 के स्थान पर रू. 40,000) आंशिक संशोधन करते हुए प्रस्तावित शुल्क को स्वीकृति प्रदान की गई। उच्च नयायालयों में अधिवक्ताओं के शुल्क के प्रस्ताव को मान्य किया गया। इसके साथ–साथ महाधिवक्ता एवं उप–महाधिवक्ता के शुल्क सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये शुल्क प्रस्ताव को इस विश्वविद्यालय के लिए स्वीकार कर लिया जाय। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता के लिए शुल्क जारी न करने की स्थिति में रूपये 10,000/– महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता शुल्क रूपये 5,000/– पेपर वर्क कुल 15,000/– रूपये विधिक अधिमत के लिए शुल्क स्वीकृत किया गया।

कार्यवाही – विधि विभाग

प्रस्ताव क्र. 11 – सत्र न्यायालयों में अधिवक्ताओं को दिये जाने वाले शुल्क/प्रस्तावित शुल्क संबंधी।

निर्णय – सत्र न्यायालयों में अधिवक्ताओं को दिये जाने वाले प्रस्तावित शुल्क को मान्य किया गया।

कार्यवाही – विधि विभाग

प्रस्ताव क्र. 12 – अधिवक्ता श्री समीर कुमार शर्मा के देयक भुगतान संबंधी।

निर्णय – अधिवक्ता श्री समीर कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत देयक पर विचार किया गया। यात्रा भत्ता, विधिक व्यय एवं वाहन बिल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत को यथावत स्वीकृति प्रदान की गई। सूनवाई हेतु प्रस्तुत देयक को प्रति सुनवाई पुर्वनत रूपये 300/– ही मान्य किया गया। प्रति सुनवाई 300 रूपये मान्य करते हुए भुगतान की स्वीकृति मान्य की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 13 – विश्वविद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय/अध्ययन केन्द्रों हेतु कम्प्युटर, प्रिंटर कम स्केनर एवं UPS के देयक राशि रूपये 82,70,980/– के भुगतान संबंधी (विश्वविद्यालय बजट–2021–22 के Head of Account C-1 Grant from UGC on item for development funds से विकलनीय)।

निर्णय – विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यादेश के अनुरूप देयक प्राप्त कर लिया जाय। फर्म द्वारा प्रदाय सामग्री जिसका भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन एवं वित्त की अनुशंसा पर फर्म श्री राम कम्प्यूटर के देयक की राशि रूपये 82,70,980/– (ब्यासी लाख सत्तर हजार नौ सौ अस्सी रूपये) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 14 – विद्यापरिषद् की 38 वीं (नियमित) बैठक के कार्यवाही–विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 15 – योजना मंडल की 11 वीं (नियमित) बैठक के कार्यवाही–विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – आकदमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 16 – विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों से Alumni Student Fees Rs. 100/– लिये जाने संबंधी।

निर्णय – Alumni Student Fees Rs. 100/– लिये जाने के पूर्व छात्र की सहमति लेकर उक्त शुल्क लिया जाए। किस कारण से यह शुल्क लिया जा रहा है इसकी विस्तृत जानकारी विद्यार्थी को दी जाए।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 17 – विश्वविद्यालय द्वारा संचालित/स्थापित नवीन अध्ययन केन्द्रों एवं संचालित/स्थापित बंद किये गये अध्ययन केन्द्रों की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण किया गया।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 18 – विश्वविद्यालय सत्रांत परीक्षा जुलाई–जून 2021–2022 के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्र/अध्ययन केन्द्रों को अग्रिम राशि रू. 22,78,000/– (बाईस लाख अठहत्तर हजार रूपये) की कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – राशि रू. 22,78,000/– (बाईस लाख अठहत्तर हजार रूपये) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 19 – सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था संबंधी।

निर्णय – सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था में M/s Shree Siddhi Vinayak Service, Bilaspur को उसके कार्य की समीक्षा करते हुए 1 वर्ष के लिए पूनः कार्य दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। आगामी वर्ष में समय पर (जनवरी–फरवरी) में टेंडर कर कार्य दिया जाए।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 20 – डी.एल.एड. छात्रा रंजीता के प्रवेश संबंधी।

निर्णय – डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष की छात्रा रंजीता सूर्यवंशी को विशेष प्रकरण के रूप में प्रवेश देने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

पूरक प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 21 – स्वअध्ययन सामग्री मुद्रण संबंधी।

निर्णय – शासकीय मुद्रणालय को स्व. अध्ययन सामग्री मुद्रण के लिए शासन आदेश का परिपालन करते हुए कार्यादेश दिये जाने कि स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त प्रस्ताव पर श्री उचित सूद द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई जिसमें उनके द्वारा स्व अध्ययन सामग्री मुद्रण कार्य टेडंर के माध्यम से दिये जाने का प्रस्ताव दिया गया। कार्यपरिषद् की आगामी बैठक तक स्व अध्ययन सामग्री मुद्रण संबंधी कार्यादेश क्रियान्वयन को स्थगित रखे जाने का निर्णय कार्यपरिषद् द्वारा लिया गया।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

BGS 15.06.22

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष

(इंदु अनंत)
कुलसचिव / सचिव

पृ. क्रं. 36 / का.प. / बैठक / 2022, बिलासपुर, दिनांक 15 / 06 / 2022

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्माननीय सदस्यगण –

3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।

3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्रा पड़ाव नगर, पंचायत केषकाल, जिला कोण्डागांव।

3.3 श्री गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।

3.4 श्री आर.के. पटेल, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।

3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।

3.6 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।

3.7 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।

3.8 पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।

3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)।

3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)।

3.11 डॉ. प्रकृति जेम्स, सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।

की ओर कार्यवाही–विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।

4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।

5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. संबंधित विभाग प्रमुखों .... को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यपरिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन–प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

7. नस्ती हेतु।

कुलसचिव

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)
कोनी –बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009
दूरभाष क्रमांक– (07752) 240715
www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

क्र. 2109/हिन्दी/2021 बिलासपुर, दिनांक 02/07/2021

//सूचना//

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्यापरिषद की 35 वीं आपात बैठक दिनांक 26/06/2021 एवं कार्यपरिषद की 03/नियमित/2021 वीं बैठक दिनांक 29/06/2021 कि बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार **पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य** (PGDCLL) के पाठ्यक्रम को पुनः संशोधित कर इस विश्वविद्यालय के लिंए लागू किया जाता है।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

विभागाध्यक्ष
हिन्दी विभाग

क्र. 2110/हिन्दी/2021 बिलासपुर,दिनांक 02/07/2021
प्रतिलिपिः

1. कुलपति जी के निज सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
4. वित्ताधिकरी को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

विभागाध्यक्ष
हिन्दी विभाग

-! अध्ययन मंडल की बैठक ! -

हिंदी विषय के अध्ययन मंडल की बैठक आज दिनांक 06/09/2021 को हिंदी विभाग, शिक्षा अकादमिक भवन, वि. वि. मुख्यालय बिलासपुर में अपराह्न 12:00 बजे आहूत की गई। इस बैठक में अध्ययन मंडल के निम्न माननीय सदस्य उपस्थित रहे —

1. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
अध्यक्ष
सहायक प्राध्यापक, हिंदी
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि. वि. छत्तीसगढ़

2. डॉ. राजेश कुमार दुबे,
प्राध्यापक हिंदी
शासकीय नवीन महाविद्यालय, खरोरा, रायपुर
06.09.2021

3. डॉ. राजकुमार सचदेव
प्राध्यापक हिंदी
श्री राम कृपा भवन, दयालबंद, बिलासपुर
06.9.2021

4. डॉ. रूपेन्द्र राव
सदस्य
सहायक प्राध्यापक, मनोविज्ञान
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि. वि. छत्तीसगढ़
6/9/2021

5. डॉ. बीना सिंह
सदस्य
सहायक प्राध्यापक, शिक्षा
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि. वि. छत्तीसगढ़
6.9.21

अध्यक्ष द्वारा सम्माननीय सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक आरंभ हुई। हिंदी अध्ययन मंडल के सदस्य रहे प्रो. नीरेश्वर सिंह के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की गई। बैठक की कार्यसूची निम्नवत है:-

1. छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य के पाठ्यक्रम के संशोधन पर विचार।
2. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय में 27.03-18 को एम. ए. हेतु संशोधित पाठ्यक्रम को लागू करने पर विचार।

कार्यवृत्त

1. प्रस्तावित कार्यसूची बिन्दु क्रमांक एक पर चर्चा हुई। चारों प्रश्न-पत्रों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण किया गया। यह निर्णय लिया गया है संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार स्व-अध्ययन पाठ्य सामग्री निर्माण करा लेने के बाद पाठ्यक्रम लागू किया जाए।

2. बिन्दु क्रमांक दो पर चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि संशोधित पाठ्यक्रम (एम.ए.) हिंदी स्व-अध्ययन पाठ्य सामग्री निर्माण पश्चात् लागू किया जाए, यह अनुशंसा सर्वसम्मति से लिया गया।

Seen 4.10

6.9.21

Jaipur 06/09/21

S. R... 6/9/2021

06.09.2021 (राजेश कुमार दुबे)

R.K.Sa... 06.9.2021
डॉ. राजकुमार सचदेव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 284 /अका./वि.प./बैठक/2021, बिलासपुर, दिनांक 28 /06/2021

//अधिसूचना//

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 35 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में दिनांक 26/06/2021, दिन शनिवार अपरान्ह 03:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :–

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर
2. **प्रो. एल.पी. पटैरिया,** (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
   माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
   (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट)
3. **प्रो. आर.पी. दास** – सदस्य
   सम कुलपति
   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
   (कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित)
4. **डॉ. राजलक्ष्मी सेलट**(विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
   आयुक्त के नामिनी
   उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.)
5. **प्रो. मनीष श्रीवास्तव,** (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
   गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर
   (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
6. **प्रो. मीता झा,** (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
   पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
   (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
7. **डॉ. अनिता सिंह,** – सदस्य
   अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शिक्षा विभाग
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर
8. **श्री संजीव कुमार लवानिया** (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
   अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशास्त्र
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर

9. **डॉ. एस. रूपेन्द्र राव** (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर

10. **श्री रेशमलाल प्रधान** (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर

11. **डॉ. इंदु अनंत** – सचिव
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

<u>निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –</u>

1. **संचालक** – सदस्य
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया –

प्रस्ताव क्र. 01– विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 34 वीं बैठक का विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02– विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 1 में संशोधन भाग G: शिक्षक/गैर शिक्षक अधिकारियों की योग्यता को जोड़ने हेतु सुझाव पर विचार।

निर्णय – शिक्षकीय पदों हेतु मैनेजमेन्ट जोड़ा जाए के साथ मान्य किया गया। योग्यता का विस्तृत वर्णन न करके "Eligibility will be as per UGC Regulation enforced from time to time" लिखा जाए और अशैक्षणिक पदों हेतु पृथक से समिति बना कर विचार किया जाए। कार्यपरिषद् में रखा जाय।

प्रस्ताव क्र. 03– शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सीधी भर्ती/पदोन्नति/ समयमान नियम, 2021 संबंधी।

निर्णय – गैर शैक्षणिक पदों हेतु यह सुझाव दिया गया कि अलग से नियम बना कर कार्यपरिषद् में रखा जाए। रिजनल डायरेक्टर, असिस्टेन्ट लायब्रेरियन, निज सचिव कुलपति, के लिये कमेटी बना दें। अनुशंसा कार्यपरिषद् में ली जाये। शिक्षकीय पदों पर सीधी भर्ती/पदोन्नती नियम 2021 को संशोधन के साथ संस्तुत किया गया।

प्रस्ताव क्र.04– SWAYAM द्वारा संचालित MOOC कोर्स को विश्वविद्यालय के Credit Framework के अनुरूप सम्मिलित करने विषयक।

निर्णय – "वर्तमान शिक्षण सत्र मे" की जगह पर "आगामी शिक्षण सत्रों" से किया जाए।

प्रस्ताव क्र. 05– **बी.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस के प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष के पाठयक्रमो की अनुशंसा तथा पाठयपुस्तक साम्रगी का अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय – अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र.06– **सहायक प्राध्यापको के लधु–शोध प्रबंध (Minor Research Project) की मूल्यांकन रिपोर्ट सूचनार्थ।**

निर्णय – सूचना ग्रहण किया गया।

प्रस्ताव क्र. 07– **विश्वविद्यालय विषयों के अध्ययन मण्डलों की कार्यवाही–विवरण के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र.08– **विश्वविद्यालय में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन संबंधित।**

निर्णय – ऐसे सभी पाठ्यक्रम जिनका AICTE द्वारा Approval लेना है उन पाठ्यक्रमों हेतु AICTE की अनुमति की प्रतीक्षा की जाए एवं ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें AICTE की अनुमति की आवश्यकता न हो उन्हे यथावत संचालित किया जाए तथा UGC को पत्र लिखा जाए।

बैठक के अंत में विद्या परिषद् को सूचीत किया गया की दीक्षांत समारोह में प्रो. नागेश्वर राव (कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) को मुख्य वक्ता के रूप में दी गई सहमति की सूचना ग्रहण की गई। दीक्षांत समारोह के लिए प्रयास जारी है।

डॉ. चरण दास महंत जी द्वारा स्वी. श्री बिसाहू दास महंत जी के नाम से सर्वोच्च ग्रेड प्राप्त दिव्यांग छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक के लिए रू. 1 लाख राशि प्रदान की गई है, जो विश्वविद्यालय को प्राप्त होने की सूचना ग्रहण की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

28.6.2021

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

(इंदु अनंत)
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्रं. 285/अका./वि.प./बैठक/2021, बिलासपुर, दिनांक 28/06/2021

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण –
2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी–3, नया रायपुर (छ.ग.)
2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)

2.3 प्रो आर.पी. दास, सम कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान् गढ़ी, नई दिल्ली।
2.4 प्रो. एल.पी.पटेरिया, माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
2.5 प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
2.6 प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
2.7 क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
2.8 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
2.8 श्री संजीव लावनिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU
2.9 डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU
2.10 श्री रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस, PSSOU
की ओर सूचनार्थ।

3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही–विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन–प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।

कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 52/का.प./बैठक/2021 बिलासपुर, दिनांक 30/06/2021

//अधिसूचना//

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की बैठक संख्या **03/नियमित/2021, दिनांक 29/06/2021, दिन मंगलवार** को प्रातः 11:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर के सिरपुर प्रशासनिक भवन में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक 2, 3, 4 एवं 7 के सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :–

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर

2. **प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव** (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
   आचार्य
   मानविकी अध्ययन विभाग
   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
   (कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)

3. **श्री एम. डी. दीवान** (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
   संयुक्त सचिव
   छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
   अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

4. **श्री एस.एल.नायक** (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
   संयुक्त सचिव
   छ.ग.शासन,
   पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.)

5. **पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु** – सदस्य
   बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

6. **श्री प्रफुल्ल शर्मा** – सदस्य
   चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)

7. **श्री उचित सूद** (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
   होटल सेन्ट्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)

8. **श्री आर.के. पटेल** – सदस्य
संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर
(सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

9. **डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति** – सदस्य
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)

डॉ. इंदु अनंत – सचिव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष या विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके –

1. **श्री गुलाब कमरो** – सदस्य
उपाध्यक्ष
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर

2. **श्री संतराम नेताम** – सदस्य
उपाध्यक्ष
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर

3. **श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट** (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)

प्रो. जितेन्द्र श्रीवास्तव जी के कार्यपरिषद् के दूसरी बार सदस्य बनने की सूचना कार्यपरिषद् को दी गई। प्रो. जितेन्द्र श्रीवास्तव जी का कार्यपरिषद् में हार्दिक स्वागत किया गया इसके पश्चात् कार्यपरिषद् में कार्यसूची रखी गई। अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्र. 01 – **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 02/नियमित/2021, 03/आपात/2021 बैठक एवं 04/आपात/2021 बैठक की कार्यवाही–विवरण की सम्पुष्टि प्रदान करना एवं पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करने पर विचार।**

निर्णय – कार्यवृत्त एवं पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02 – विश्वविद्यालय सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था के ठेका की समयावधि बढ़ाने संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय सुरक्षा एवं सफाई ठेका की समयावधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। सुरक्षा एवं हाउसकिपिंग प्रभारी द्वारा प्रस्तुत निरिक्षण प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के रिपोर्ट के आधार पर कार्यपरिषद् द्वारा एक वर्ष के समय की वृद्धि की अनुशंसा इन शर्तो के साथ की गई की संबंधित फर्म द्वारा समस्त दस्तावेजो की नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराया जाय। कार्यरत सुरक्षा एवं सफाई कर्मचारी जिन स्थानों पर अपनी सेवाए दे रहे है उनकी पूर्ण जानकारी कार्यपरिषद् की अगली बैठक में सूचनार्थ रखी जाय।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 03 – विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करने संबंधी।

निर्णय – गैर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में कुल मिलाकर 30 की संख्या रखी जाय इस प्रकार तीसरे वर्ष 90 की संख्या होगी। समिति बनाकर नियमावली तैयार कर लिया जाय। नियमवाली बनाने में वित्ताधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया जाय।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 04 – विश्वविद्यालय विवरण पुस्तिका के मुद्रण की कार्योत्तर राशि रू. 12,66,496/– की स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय विवरण पुस्तिका के मुद्रण की कार्योत्तर राशि रू. 12,66,496/– की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 05 – विश्वविद्यालय में नवीन सौर संयंत्र स्थापना हेतु कुल व्यय रू. 79,86,000/– की स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय में नवीन सौर संयंत्र स्थापना हेतु कुल व्यय राशि रू. 79,86,000/– की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – यांत्रिकी विभाग

प्रस्ताव क्र. 06 – विद्यापरिषद् की 35 वीं आपात बैठक के कार्यवाही–विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 07 – शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सीधी भर्ती/पदोन्नति/समयमान नियम, 2021 संबंधी।

निर्णय – प्रस्ताव क्र. 06 पर निर्णय के अनुरूप, अनुमोदित किया गया।

अशैक्षणिक पदों के लिए अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर एवं राज्य के बाहर के मुक्त विश्वविद्यालय जैसे इग्नु नई दिल्ली, भोज मुक्त

विश्वविद्यालय भोपाल या राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से सदस्यों को लेकर नियम तैयार कर ली जाय।

विश्वविद्यालय तैयार नियमावली में UGC के नियम जिन बिन्दुओं पर नहीं है वहां राज्य शासन के नियम लागु होंगे। राज्य शासन का नियम न होनें की स्थिति में कार्यपरिषद् द्वारा स्वीकृत नियम लागू होंगे, यह भी उल्लेखित किया जाय।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 08 – आयकर ई–फिलींग एवं आयकर रिटर्न के फीस की राशि रू 1,53,400/– की भुगतान करने संबंधी।

निर्णय – आयकर ई–फिलींग एवं आयकर रिटर्न के फीस की राशि रू 1,53,400/– की भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 09 – सत्रीय परीक्षा मूल्यांकन हेतु रू. 20,50,000/– की कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – सत्रीय परीक्षा मूल्यांकन हेतु राशि रू. 20,50,000/– की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 10 – विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – यांत्रिकी विभाग

प्रस्ताव क्र. 11 – विश्वविद्यालय द्वारा क्रय किए कम्प्यूटर के देयक भुगतान संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय द्वारा क्रय किए कम्प्यूटर के देयक राशि रू. 75,80,438.00/– (पचहत्तर लाख अस्सी हजार चार सौ अड़तीस रू. मात्र) के भुगतान पर चर्चा की गई। CPU के संबंध में कार्यादेश में उल्लेखित एवं प्रदाय की गई सामग्री में भिन्नता की जानकारी दी गई। निर्णय किया गया कि इस संबंध में तीन सदस्यीय समिति बनाकर रिपोर्ट ली जाय। समिति निम्नानुसार होगीः–

1. प्रो. मनीष श्रीवास्तव, कम्प्युटर साइंस विभाग, गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर
2. डॉ. जितेन्द्र कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर
3. श्री रेशमलाल प्रधान, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

समिति अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को सौपेगी।

कार्यवाही – कम्प्यूटर विभाग

पूरक प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 12 – विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 1 में संशोधन भाग G: शिक्षको की योग्यता संबंधी।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 13 – विश्वविद्यालय पैनल लॉयरों की सूची में नाम निरसित करनें की सूचना ग्रहण करनें संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – विधि प्रकोष्ट

प्रस्ताव क्र. 14 – विश्वविद्यालय में कर्मचारियों को बस सुविधा प्रदान करनें संबंधी।

निर्णय – बस सेवा लागू की जाए। प्रति कर्मचारी प्रति माह रू. 100/– टोकन राशि लिया जाय। कोविड के दिशा निर्देशो के साथ बस सूविधा लागू की जाय।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 15 –पी. स्क्वायर के देयक की राशि रू. 3,32,154/– भुगतान संबंधी।

निर्णय – पी. स्क्वायर के देयक की राशि रू. 3,32,154/– भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 16 – मुख्यालय एवं अध्ययन केन्द्रों में कार्यरत मानसेवियों के मानदेय भुगतान संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय में वेतन भुगतान संबंधी पूर्ववत व्यवस्था कुलपति द्वारा स्वीकृति को यथावत लागू रखे जाने की अनुशंसा की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 17 – वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु CA पैनल से CA नामांकित किए जाने संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय में कार्यरत फर्म के कार्यो के संबंध में रिपोर्ट वित्ताधिकारी से ली जाय। रिपोर्ट संतोषजनक होने पर फर्म को एक वित्तीय वर्ष के लिए पुनः अनुमति प्रदान की जाय।

कार्यवाही – वित्त विभाग

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

30.06.2021

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

(इंदु अनंत)
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्रं. 53 /का.प./बैठक/2021, बिलासपुर, दिनांक 30/06/2021

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।

3. सम्माननीय सदस्यगण –

3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।

3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्रा पड़ाव नगर, पंचायत केषकाल, जिला कोण्डागांव।

3.3 श्री गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।

3.4 श्री आर.के. पटेल, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।

3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।

3.6 सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।

3.7 सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।

3.8 पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।

3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)।

3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)।

3.11 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।

की ओर कार्यवाही–विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।

4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।

5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. संबंधित विभाग प्रमुखों .... को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यपरिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन–प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

7. नस्ती हेतु।

कुलसचिव